[2019] 3 एस. सी. आर. 446

खुशविंदर सिंह

वी.

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1433–1434 2014)

05 मार्च, 2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एसएस। 364 , 302 , 307 और 380 के तहत अभियोजन–6 व्यक्तियों की हत्या–उनका अपहरण करके और नशीली गोलियाँ देकर उन्हें सोते हुए और फिर उन्हें एक नहर में डुबो देना–नीचे की अदालतों द्वारा दोषसिद्धि–मृत्युदंड–अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ मामले को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित कर दिया है।

जिसमे चश्मदीद गवाह, स्वतंत्र गवाह और गवाह ने आरोपी के सामने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की–गवाह भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं–कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है जो अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है–आरोपी को आखिरी बार मृतक में से तीन के साथ देखा गया था–आरोपी के कहने पर नशीली दवाओं की बरामदगी साबित होती है–आरोपी के घर से नकदी और गहने और मृतक के घर की चाबी की बरामदगी उसके कहने पर हत्या का मकसद साबित करती है–नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष सबूतों की सराहना पर हैं, जो न तो विकृत हैं और न ही रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत हैं इसलिए, दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है–आरोपी ने 6 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या को सुनियोजित तरीके से अत्यधिक क्रूरता के साथ किया। बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए , बिगड़ती परिस्थितियाँ मृत्युदंड के पक्ष में झुकती हैं इसलिए, मृत्युदंड/मौत की सजा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है और इसे मृत्युदंड/मौत की सजा बरकरार रखा जाता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

निर्णीत– 1.1 अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ ठोस साक्ष्य का नेतृत्व कर के मामला साबित कर दिया है पी. डब्ल्यू.–5, चश्मदीद गवाह की जाँच करके; पी. डब्ल्यू.–14, नहर विभाग का एक कर्मचारी, जो एक स्वतंत्र गवाह है, जिसे पी. डब्ल्यू.–5 ने घटना की पूरी बात समय से पहली सुनाई। पीडब्लू–8 पूर्व–सरपंच; पीडब्लू–9 उनके द्वारा भी अतिरिक्त न्यायिक समक्ष स्वीकारोक्ति की गई थी और पीडब्लू–7, जांच अधिकारी सहित कई पुलिस गवाहों से पूछताछ करके। उपरोक्त गवाहों के पूरे

बयान को बारीकी से देखने के बाद, हमारी राय है कि उन्होंने कुल मिलाकर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है।

1.2 आरोपी को आखिरी बार मृतक पति, माँ और PW5 के भाई के साथ 25/26.06.2012 को लगभग 2:30 बजे देखा गया था। इसके बाद, उपरोक्त तीन व्यक्तियों को किसी के भी द्वारा जीवित नहीं देखा गया। पीडब्लू–5 के बयान में अभियुक्त को उपरोक्त तीन व्यक्तियों के साथ अंतिम बार देखा गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके और पी. डब्ल्यू.–8, पूर्व–सरपंच की जांच करके स्थापित और साबित किया गया। [पैरा 9.3] [461 – डी]

1.3 मामूली विसंगतियों पर अनुचित जोर नहीं दिया जाना चाहिए और विश्वसनीयता के साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वही प्रेरित करता है न्यायालय के मन में विश्वास। प्रत्येक चूक एक भौतिक चूक के कारण नहीं हो सकती है और इसलिए, मामूली विरोधाभास, विसंगतियां या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए एक आधार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस चूक से गवाह की सच्चाई या साख के बारे में गंभीर संदेह पैदा होना चाहिए। अभियोजन के मामले को भौतिक रूप से केवल गंभीर अंतर्विरोध और चूक प्रभावित करती है, लेकिन हर मामले में विरोधाभास या चूक नहीं। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई थी, वे विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। कोई भौतिक विरोधाभास नहीं हैं जो अभियोजन पक्ष का मामला प्रभावित कर सकते हैं। पीडब्लू–5 चश्मदीद गवाह और पीड़ित भी है । बचाव पक्ष द्वारा उसकी पूरी तरह से जिरह की गई है। लेकिन डिफेंस को उनके प्रतिपरीक्षण से कुछ भी नहीं निकाला है। जो अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकती है और/या जो उसकी विश्वसनीयता पर संदेह कर सकती है। पीडब्लू–14 एक स्वतंत्र गवाह है जिसे पीडब्लू–5 द्वारा घटना सुनाई गई थी। यहां तक कि पीडब्लू–8 और पीडब्लू–9 भी स्वतंत्र गवाह हैं उनके खिलाफ कुछ भी आरोप नहीं है। [पैरा 10 और 11] [461–एच; 462–ए–ई]

योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह (2007) 11 एस. सी. सी. 195: [2007] 5 एससीआर 1049–पर भरोसा किया गया।

1.4 अभियुक्त के घर से नकदी और गहने भी बरामद किए गए हैं जो अभियुक्त के कहने पर बरामद किए गए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा ज्ञापन आदि के संबंध में बरामदगी साबित की गई है। यहाँ तक कि घर की चाबियाँ भी पीड़ितों को अभियुक्त के घर से पाया गया। आभूषण और नकदी की पहचान पीडब्लू–5 द्वारा की गई है। केवल इसलिए कि पहले अभियुक्त के घर की तलाशी ली गई थी और उस समय कुछ भी नहीं मिला था, बाद में की गई बरामदगी का आधार नहीं हो सकता है, जो कि स्वयं अभियुक्त के कहने पर की गई थी। अभियुक्त को ज्ञान है, जो बता सकता है कि उसने पीड़ितों के घर से लिए गए गहने/नकदी कहाँ रखी थी। बरामदगी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 12] [462–एफ–एच; 463–ए]

1.5 अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध करने और पूरे परिवार को खत्म करने के उद्देश्य को साबित करने सफल रहा है, जो अभियुक्त के घर से नकदी और गहने की बरामदगी से समर्थित है। [पैरा 12.1] [463–बी]

1.6 यहां तक कि आरोपी की मारुति कार से एंजीलम 0.5mg गोलियों की बरामदगी भी स्थापित और साबित की गई है । इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित हो गया है कि उसने मृतक व्यक्तियों को गोलियां दी थीं और उसके बाद उन्हें मार डाला था। सामग्री में जहर का पता न चलना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा। जहाँ गोलियाँ अधिक संख्या में दी जाती हैं, वहाँ ही जहर का पता लगाया जा सकता है। [पैरा 12.2] [463–बी–सी]

1.7 निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्ष साक्ष्य जो न तो विकृत हैं और न ही रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत हैं । उच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत छह व्यक्तियों की हत्या/हत्या करने के लिए दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की सही पुष्टि की है। [पैरा 13] [463–डी–ई]

2.1 जहाँ तक निचली अदालतों द्वारा लगाई गई मृत्युदंड का संबंध है, अभियुक्त का वकील किसी भी ऐसी कम करने वाली परिस्थिति की ओर इशारा करने की स्थिति में नहीं है जो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना आवश्यक हो। । अभियुक्त ने छह निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी है, जिनमें से लगभग 10 वर्ष से कम आयु के दो नाबालिग थे।, पीडब्लू–5 के परिवार के सभी सदस्यों की नृशंस और कायरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसने पूर्व नियोजित तरीके से छह निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। दोषी ने सावधानीपूर्वक समय की योजना बनाई। उसने पहले धोखे से तीन लोगों का अपहरण किया और उन्हें नहर के पास . ले गया और उसके बाद उन्हें नींद की गोलियाँ पिलाकर, उन्हें आधी रात को नहर में धकेल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध का पता न चले। कि, उसके बाद उसने दूसरे चरण/किश्त में तीन और लोगों को मार डाला। यह मामला "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले" की श्रेणी में आता है जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जाती है। बिगड़ती परिस्थितियाँ अभियोजन के पक्ष में और अभियुक्त के खिलाफ हैं। इसलिए, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, बिगड़ती परिस्थिति संतुलन को मृत्युदंड सजा के पक्ष में झुका देगी। [पैरा 14] [464–ए–सी]

मुकेश बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2017) 6 एस. सी. सी. 1: [2017] 6 एस. सी. आर. 1–पर निर्भर।

2.2 मृत्युदंड सजा के सिवाय कोई वैकल्पिक सजा उपयुक्त नहीं है। यह अपराध चरमपंथी क्रूरता के साथ किया जाता है और समाज के सामूहिक चेतना को झटका लगेगा। इसलिए, निचली अदालत द्वारा लगाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पु.ष्टि की गई मृत्युदंड/मौत की सजा इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है। अतः अभियुक्त की मृत्युदंड की पुष्टि हो जाती है। [पैरा 14] [464–सी–डी]

3. **उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुए और निर्णय की पुष्टि करते हुए पारित विवादित निर्णय और आदेश में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश भा.दं.सं. की धारा 364,302,307,201 और 380 के तहत दंडनीय अपराधों की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि–भा.दं.सं. की धारा 302 और अन्य के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त के अपराधों की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है और सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए मृत्युदंड की पुष्टि की जाती है और छह व्यक्तियों की हत्या करने के लिए भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है। [पैरा 15] [464–ई–जी]**

मामला कानून संदर्भ

[2007] 5 एससीआर 1049 उस पर भरोसा करे पैरा 10

[2017] 6 एससीआर 1 उस पर भरोसा करें पैरा 14

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील नं. 1433–1434 2014 से।

उच्च न्यायालय के 20.09.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से हत्या संदर्भ संख्या 3 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा 2013 , आपराधिक अपील सं। सी. आर. ए नं. 2013 का डी–385–डीबी।

त्रिपुरारी रे, बलवंत सिंह बिल्लौरिया, राजेश सिंह, सुरेश कुमार शर्मा, परवीन कुमार, प्रफुल्ल कुमार, नितीश शेखर, विष्णु शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, सुश्री आशिमा मंडल, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति श्री एम. आर. शाह

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चडीगढ़ में हत्या संदर्भ संख्या 3 में पारित दिनांक 20.09.2013 का विवादित निर्णय और आदेश 2013 आपराधिक अपील सं 2013 का डी–385–डी. बी से दुखी और असंतुष्ट होना, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए मृत्युदंड की पुष्टि की है, विद्वान सत्र न्यायालय, फतेहगढ़ साहिब दिनांक 1 द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता–अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला पीडब्लू –5 जसमीन कौर–मूल शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार यह थी कि उनकी शादी वर्ष 2005 में गाँव भोजेवाल के रूपिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह से हुई थी। उक्त विवाह से दो बच्चे, बड़ा बेटा जसकीरत सिंह, जिसकी आयु लगभग सात वर्ष थी और एक बेटी प्रभसिम्रान कौर, जिसकी आयु लगभग छह वर्ष थी, पैदा हुए। चूंकि शिकायतकर्ता के ससुराल में माहौल ठीक नहीं था,

इसलिए शिकायतकर्ता जसमीन कौर अपने पति और बच्चों के साथ घटना से लगभग छह साल पहले से गांव मुकंदपुर में अपने जन्म स्थान पर रह रही थी। जसमीन कौर का भाई गुरिंदर सिंह उर्फ बब्बू शराब का अधिक सेवन करता था। परिवार ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और इस संबंध में उन्हें समझाया भी गया। इसके बाद, मंजीत कौर, पत्नी शिकायतकर्ता के मामा की बेटी खमानोन, जो शिकायतकर्ता के मामा की बेटी है। आरोपी खुशविंदर सिंह, निवासी गांव सुहावी ने शिकायतकर्ता के परिवार को सूचित किया कि वह एक 'बाबा' (पवित्र व्यक्ति) को जानता है जो उनके क्षेत्र में रहता है, जो व्यक्ति को स्थायी रूप से शराब पीने की आदत से छुटकारा दिला सकता है। आरोपी ने आगे बताया कि वह एक ट्रैवल एजेंट को भी जानता था, जो शिकायतकर्ता के पति रूपिंदर सिंह को विदेश भेज सकता था। इसके बाद आरोपी शिकायतकर्ता के घर जाने लगा। घटना से लगभग तीन महीने पहले, आरोपी शिकायतकर्ता के घर आया और बताया कि उसने रूपिंदर सिंह को कनाडा भेजने के लिए एक एजेंट के साथ व्यवस्था की है। उसने रुपये. 2,00,000/– और रूपिंदर सिंह का पासपोर्ट मांगा। उन्होंने यह भी बताया कि Rs.14,00,000/– की शेष राशि का भुगतान वीजा प्राप्त करने पर किया जाना था। इसके बाद, शिकायतकर्ता के परिवार ने सुनार के पास अपने सोने के गहने गिरवी रखे और रुपये उधार लिए–जो रूपिंदर सिंह के पासपोर्ट के साथ आरोपी को सौंप दिए गए। आरोपी ने शिकायतकर्ता के परिवार को आगे बताया कि काम दो महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। आरोपी ने आगे बताया कि वह 'बाबा' (पवित्र व्यक्ति) के संपर्क में भी आया था ताकि गुरिंदर सिंह अपनी पीने की आदत छोड़ सके और उस उद्देश्य के लिए, शिकायतकर्ता के परिवार को 'ढाला' (कुछ दाल, चावल) आदि की पेशकश करनी होगी।

2.1 इसी दिन की शाम को 26–06–2012 को लगभग 06;00 बजे आरोपी अपनी कार पर शिकायतकर्ता के घर उसके गांव मुकंदपुर आया और शिकायतकर्ता के परिवार को सूचित किया कि रात को लगभग सुबह 1 बजे "ढाला" चढ़ाया जाना था और इस उद्देश्य के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता की मां, गुरिंदर सिंह उर्फ बब्बू, भाई और पति रूपिंदर सिंह को अपने साथ जाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता के पिता गुरिंदर सिंह भी उनके साथ थे क्योंकि उन्हें गुरुद्वारा रारा साहब में मत्था टेकना था। फिर, 26–06–2012 को लगभग 11:30 पर आरोपी अपनी कार में वापस गांव मुकंदपुर आया और शिकायतकर्ता को सूचित किया कि गुरिंदर सिंह, अमरजीत कौर और रूपिंदर सिंह 'बाबा जी' के पास रह गए हैं। शाम को शिकायतकर्ता को ढाला चढ़ाने के लिए उसके साथ बाबा के पास जाना चाहिए।

2.2 26–06–2012 को शाम करीब साढ़े छह बजे शिकायतकर्ता जसमीन कौर अपने पिता गुरमैल सिंह, बेटे जसकीरत सिंह और बेटी प्रभसिम्रान कौर के साथ PB–10AM–9371 NUMBER वाली मारुति कार में आरोपी के साथ गई। रास्ते में आरोपी ने बताया कि उसे "बाबा जी" का फोन आया था कि गुरिंदर सिंह स्थायी रूप से उसकी शराब पीने की आदत से छुटकारा पाएंगा , लेकिन बदले में गुरमीत सिंह, शिकायतकर्ता के पिता को शराब पीनी होगी। इस पर, गुरमैल सिंह एक विवाद में पड़ गया, क्योंकि वह वास्तव में कभी शराब नहीं पीता था, लेकिन वह मजबूरी में शराब पीने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद, रास्ते में,शिकायतकर्ता, उसके बच्चे और गुरमैल सिंह बस्सी पठाना से आगे नहर की ओर जाते हैं, जहाँ उसने अपनी कार को नहर के किनारे के पुल की ओर मोड़ दिया और शिकायतकर्ता को सूचित किया कि उन्हें पहले ढाला चढ़ाना है। इस पर दोपहर करीब 1 बजे शिकायतकर्ता जसमीन

कौर और उसके पिता गुरमैल सिंह कार से उतर गए और बच्चे कार में बैठे रहे। वे नहर के किनारे आए और जब उन्हें बहते पानी में "ढाला" चढ़ाना था, तो अभियुक्तों ने दोनों को नहर में धकेल दिया और इस पर वे दोनों नहर में गिर गए। हालांकि, जसमीन कौर किनारे के पास नहर के एक तरफ गिर गईं और इसलिए उन्होंने खुद को बचाना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर, वह एक लोहे की छड़ को पकड़ने में सक्षम थी, जिसे नहर में लगाया गया था और वहाँ से, वह नहर से बाहर आई और नहर के साथ आकर उसने नहर विभाग के अधिकारी को पूरी घटना के बारे में बताया जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आगे गाँव मुकंदपुर में शिकायतकर्ता के माता–पिता के परिवार को इसकी सूचना दी। उनके साथ शिकायतकर्ता ने अपने पिता और बच्चों की भी तलाश की, लेकिन उन्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। घटना स्थल थाबलान गाँव के भाखड़ा नहर के पुल के पास था।

2.3 शिकायतकर्ता का दृढ़ विश्वास था कि आरोपी ने झूठे बहाने से अपने पूरे परिवार को धोखा देकर उसके पति रूपिंदर सिंह, उनके भाई गुरिंदर सिंह, मां अमरजीत कौर, बेटे जसकीरत सिंह और बेटी प्रभसिम्रान कौर को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और उन्हें नहर में फेंक दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसके साथ उसके पिता गुरमैल सिंह को भी आरोपी ने नहर में फेंक दिया था और आरोपी ने उसकी हत्या कर दी थी ताकि उसके शव का पता न चल सके। शिकायतकर्ता ने आगे बयान में सूचित किया कि उन्होंने अपनी जमीन Rs.37,00,000/– में बेच दी थी और वह पैसा उनके घर पर पड़ा था और आरोपी को केवल इसके बारे में पता था। इसलिए, आरोपी ने उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया था क्योंकि वह Rs.37,00,000/– की राशि का दुरुपयोग करना चाहता था। अभियुक्त ने पूरे परिवार को धोखे में रखकर इस कवायद को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। शिकायतकर्ता ने अपने भाई जंग बहादुर सिंह के समक्ष अपना बयान दिया था। उन्होंने अपना बयान सुना था और यह सही था। उसने पंजाबी में अपने बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसकी पुष्टि जंग बहादुर सिंह ने की और एस. आई. शमशेर सिंह, एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन बसी पठाना द्वारा सत्यापित किया गया।

2.4 शिकायतकर्ता जसमीन कौर का उक्त कथन–Ex पी 5 , शमशेर सिंह एस. आई. (पी. डब्ल्यू.–7) द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने शिकायत को स्वीकार करने के बाद उसे शिकायतकर्ता को पढ़ कर सुनाया गया। और इसकी सामग्री के बारे में समझाया। शिकायतकर्ता ने उसी की वास्तविकता और शुद्धता पर हस्ताक्षर किए। बाद में, एस. आई. शमशेर सिंह ने इस आशय का समर्थन किया कि उन्हें पुलिस स्टेशन में एक टेलीफोनिक संदेश मिला था कि कुछ लोगों को नहर में फेंक दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ थाबलान गांव में पुल के पास भाखड़ा मुख्य लाइन का दौरा किया, जहां कई लोग नहर के किनारे जमा हुए थे। शिकायतकर्ता ने अपना बयान दर्ज कराया। समर्थन Ex.P9 को 27.06.2012 पर सुबह 11.30 पर पूरा किया गया था। सिपाही सिकंदर सिंह के माध्यम से बस्सी पठाना पुलिस स्टेशन को बयान भेजा गया था। उक्त कथन Ex.P5 के आधार पर, अभियुक्त के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302,307 और 201 के तहत अपराधों के लिए औपचारिक एफ़. आई. आर. Ex.P10 दर्ज की गई थी।

3. कि, इसके बाद जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए और आपत्तिजनक सामग्री भी एकत्र की। जाँच अधिकारी अभियुक्त की खोज के लिए निकला और गाँव नोगावन के निवासी मंजीत सिंह, जो पूर्व–सरपंच थे, का बयान दर्ज किया और जाँच अधिकारी को सूचित किया कि आरोपी 27.06.2012 की सुबह उसके पास आया और उसे बताया कि उसने अपने रिश्तेदारों गुरिंदर सिंह, रूपिंदर सिंह, अमरजीत कौर, गुरमैल सिंह ,प्रभसीमरान कौर, जसमीन कौर और जसकीरत सिंह को बखरा नहर में फेंक दिया था। इसके बाद जांच अधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर, उसने पुलिस को कुछ खुलासे किए, जिसमें यह भी शामिल था कि उसने गुरमैल सिंह के घर से 36,70,000/– की चोरी की थी और उसने अपने घर में एक थैले में पैसे छिपाए थे जो उसके घर की अलमारी में पड़ा था। उनका खुलासा बयान ए. एस. आई. कौर सिंह द्वारा दर्ज किया गया था, जिन पर अभियुक्त और गवाह के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया गया था। शिकायतकर्ता का एक पूरक बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने अपने आभूषणों और पैसा की चोरी का खुलासा किया । कि, एक–एक करके, पीड़ितों के शव पाए गए। जाँच अधिकारी ने चिकित्सीय साक्ष्य एकत्र किए। पीड़ितों के शवों का पोस्टमार्टम संबंधित डॉक्टरों द्वारा किया गया था। जाँच के दौरान और पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, पीड़ितों की चप्पल और जूते बरामद किए गए। कि, पूछताछ के दौरान, अपीलार्थी ने एक बयान दिया कि सुबह 26.06.2012 पर, उसने रूपिंदर सिंह, गुरिंदर सिंह और परमजीत कौर को सोने की गोलियाँ देने से पहले "मिश्री" (चीनी) के साथ एंजिलम 05 पिलाई। " ढाला और लिफाफे में पड़ी खाली पट्टियों को एक मारुति कार की चालक सीट के नीचे छिपा कर रखा गया था और वह उन्हें बरामद कर सकता था। उनका खुलासा बयान दर्ज किया गया था, जिस पर उनके साथ ए. एस. आई. हरजीत सिंह और एच. सी. बलबीर सिंह भी हस्ताक्षर थे। कि, इसके बाद जांच अधिकारी ने उन पट्टियों को पुलिस स्टेशन में खड़ी कार से बरामद किया। जाँच अधिकारी ने इस वस्तु का पार्सल तैयार किया और उसे सील कर दिया।

4. कि, 01.08.2012 पर, शिकायतकर्ता जसमीन कौर पुलिस स्टेशन आई और अपना बयान दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कहा , उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ साहिब की अदालत में ले जाया गया, जहाँ जांच अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता. की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता जसमीन कौर का बयान दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उनका बयान फतेहगढ़ साहिब के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया था।

4.1 जाँच पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर बस्सी पठाना ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज की। इस प्रभाव से कि अपीलार्थी अभियुक्त ने भा.दं.सं. की धाराओं 302 , 201 और 307 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।

4.2 पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को प्रस्तुत की गईं। यह मामला विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विद्वान सत्र न्यायालय को 29.09.2012 के आदेश के माध्यम से अपराधों के रूप में विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण

योग्य थे और विशेष रूप से सत्र न्यायालय को सौंपा गया था ।कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, फतेहगढ़ साहिब ने आरोपी के खिलाफ भा.दं.सं.की धारा 264, 302, 201 और 380 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप तय किया। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया और इसलिए उस पर उपरोक्त अपराधों के लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया।

4.3 अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य नेतृत्व किया। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए प्रमुख गवाह इस प्रकार हैं:

शिकायतकर्ता	पीडब्लू–5	जैस्मीन कौर
एस. आई.	पीडब्लू–7	शमशेर सिंह
पूर्व–सर्पञ्च	पीडब्लू–8	जंग बहादुर (गाँव मुकंदपुर)
एएसआई	पीडब्लू–11	कौर सिंह
विनियमन बेलदार,	पीडब्लू–14	राजेंद्र सिंह पंजाब सिंचाई विभाग

उपरोक्त गवाहों के माध्यम से, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को भी रिकॉर्ड में लाया।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, अपीलार्थी–अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया और उसके खिलाफ पेश होने वाले सबूत का सार उसके सामने रखा गया था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने बेगुनाही और मामले में गलत निहितार्थ का अनुरोध किया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि शिकायतकर्ता जसमीन कौर का भाई गुरिंदर सिंह उर्फ बब्बू शराब का आदी था और इसलिए जसमीन कौर अपने माता–पिता के साथ रह रही थी। कि उनका पूरा परिवार तनाव में था। कि उसके भाई गुरिंदर सिंह ने शराब के प्रभाव में पूरे परिवार को नहर में फेंक दिया और बाद में गुरिंदर सिंह ने आत्महत्या कर ली। यह कहा गया कि जसमीन कौर ने खुद को बचाने के लिए पुलिस में झूठी शिकायत की।

5.1 अपीलार्थी–अभियुक्त को बचाव में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने बचाव पक्ष के किसी भी गवाह से पूछताछ किए बिना उसे बंद कर दिया।

6. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, और रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य, मौखिक और दस्तावेजी दोनों की सराहना करने के बाद, विद्वान सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी–अभियुक्त को भा.दं.सं.की धारा ,302 307, 364, 201 और 380 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। कि विद्वान सत्र न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई। विद्वान सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड सहित अन्य दंड भी लगाए। विद्वान सत्र न्यायालय ने यह भी आदेश पारित किया कि सभी सजाएँ यथावत चलेंगी। आरोपी ने हाईकोर्ट का हवाला दिया, जिसे 2013 के हत्या संदर्भ

संख्या 3 के रूप में क्रमांकित किया गया था । आरोपी ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील निर्णय और पारित आदेश को चुनौती देते हुए विद्वान सत्र न्यायालय ने उसे उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराय .जाने को प्राथमिकता दी ।

6.1 आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय ने, जारी रखा है रिकॉर्ड पर और विद्वान सत्र न्यायालय ने मृत्यु दण्ड सहित एक सुविचारित तर्क द्वारा संपूर्ण साक्ष्य की पुनः सराहना निर्णय ने दोषसिद्धि और पारित सजा की पुष्टि की है। इसलिए, वर्तमान इस न्यायालय के समक्ष अपील की है।

7. अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान सत्र न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थी–अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराने में भौतिक रूप से गलती की है।

7.1 अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और/या विचार नहीं किया है और/या फिर से सराहना नहीं की है।

7.2 अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और/या इस पर विचार नहीं किया है कि यह भौतिक विरोधाभासों का मामला है, विशेष रूप से, पीडब्लू–5 और अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए अन्य गवाहों के बयान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू.–5 और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयानों में एफ. आई. आर. दर्ज करने और मौके पर पुलिस के आने के संबंध में और विशेष रूप से, जिस समय पुलिस मौके पर पहुंची, उसमें भौतिक विरोधाभास हैं। उपरोक्त के लिए, अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमें पीडब्लू–5, पीडब्लू–14, पीडब्लू–7, पीडब्लू–8 और पीडब्लू–11 के बयानों के माध्यम से लिया है।

7.3 इसे उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से कि इसमें भौतिक विरोधाभास हैं पीडब्लू–5, पीडब्लू–7, पीडब्लू–8, पीडब्लू–11, पीडब्लू–14 और के बीच मौखिक साक्ष्य पीडब्लू–17 जो अभियोजन के मामले को कमजोर कर देगा और इसलिए भी ऐसा ही है इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए जैसा कि कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष को मिला है आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रही।

7.4 इसे उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से कहा गया कि यह झूठी साजिश रचने का मामला है गवाह;पीडब्लू–5, पीडब्लू–7, पीडब्लू–9 और पीडब्लू–11, वसूली का रोपण (नकद और चाबियाँ प्रकटीकरण विवरण)। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपी का मेमो नकदी और चाबियों की बरामदगी) क्योंकि बीच में भौतिक विरोधाभास हैं।

7.5 इसे उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है अभियोजन पक्ष द्वारा लगाया गया अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से नकदी और चाबियों की बरामदगी की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, प्रतिपरीक्षण में– पीडब्लू–7 की जांच में एसआई शेरशेर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 02.07.2012 से पहले आरोपी ने यह नहीं बताया था कि पैसा कहां छिपाकर रखा था यह प्रतिपरीक्षण में प्रस्तुत किया गया है पीडब्लू–7 ने बताया है कि रिमांड के दौरान आरोपी के घर की तीन बार तलाशी ली गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि, उपरोक्त के बावजूद, कुछ भी नहीं अभियुक्त के घर से पाया गया था जब इसकी पहले तलाशी ली गई थी।

7.6 इसे उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से कहा गया कि यह बरामदगी के रोपण का भी मामला है वसूली (धारा 27 के तहत साक्ष्य अधिनियम आभूषण प्रकटीकरण विवरण)। हरजीत सिंह, एएसआई और हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह का) चूँकि PW–5, PW–7, PW–9 और पीडब्लू–11 के बीच भौतिक विरोधाभास हैं ,यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि पीडब्लू–5, पीडब्लू–7 और पीडब्लू–9 के साथ पूरे प्रमुख और प्रतिपरीक्षा में कहा गया है अभियुक्त के घर पर पड़ी पेटी से आभूषणों की बरामदगी के संबंध में, पीडब्लू–11 कहीं किसी भी समय कहीं से भी आभूषणों की बरामदगी के बारे में नहीं बताता है ।

7.7 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अपीलार्थी की ओर से–अभियुक्त कि यह भी एंजिलम 0.5mg गोलियों की वसूली के रोपण का मामला है, बयान के प्रकटीकरण का ज्ञापन ए. एस. आई. हरजित सिंह और हेड कॉन्सटेबल बलबीर सिंह के साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 और गोलियों की छह खाली पट्टियों के वसूली ज्ञापन के तहत एंजीलम 0.5 मिलीग्राम गोलियाँ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त वसूली पर भौतिक विरोधाभास हैं।

7.8 यह आगे अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है–अभियुक्त कि पुलिस थाने में खड़ी मारुति कार से गोलियों की पट्टियाँ बरामद किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, एन्जिलम 0.5 मिलीग्राम टेबल की पुनर्प्राप्ति रोपण की सभी संभावनाएं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पट्टियों को बाद में लगाया गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि आरोपी ने पीड़ितों को नशे में डाला होगा।

7.9 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ,अपीलार्थी की ओर से–अभियुक्त कि, रासायनिक विश्लेषक एक्स. पी.–44 की रिपोर्ट में, एक्स. आई. से वी. की सामग्री में कोई जहर नहीं पाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रासायनिक विश्लेषक को भेजी गई सामग्री में कोई जहर नहीं पाया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, किसी भी मामले में, एंजिलम गोलियों की सामग्री को जहरीला नहीं कहा जा सकता है।

7.10 अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू–5 द्वारा आरोपित उद्देश्य और अभियुक्त के लिए अपराध करने और पीडब्लू–5 के परिवार

के सदस्यों की हत्या करने का अभियोजन बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्त को उन अपराधों के लिए बरी किया जाए जिनके लिए उसे दोषी ठहराया गया है।

7.11 वैकल्पिक रूप से, यह अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है– अभियुक्त कि यह मृत्युदंड का मामला नहीं है और इसलिए, उसकी प्रस्तुतियों पर प्रतिकूल बिना प्रभाव डाले । इसके ऊपर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की प्रार्थना की गई है।

8. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

8.1 यह राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रशंसा और पुनः प्रशंसा के अभिलेख पर सम्पूर्ण साक्ष्य में से, विद्वान सत्र न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय दोनों ने अभियुक्त को छह व्यक्तियों की हत्या करने का दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्ष साक्ष्य की सराहना पर हैं, जो न तो विकृत हैं और न ही रिकॉर्ड पर सामग्री के विपरीत हैं।

8.2 राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष का वर्तमान मामला शिकायतकर्ता पीडब्लू–5 जसमीन कौर के चश्मदीद गवाह पर आधारित है, जो एक ठोस सबूत और आखिरी बार देखे गए सबूत भी है।

8.3 राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, पीडब्लू–5 दुर्भाग्यपूर्ण चश्मदीद गवाह है जिसने अपने पूरे परिवार को आरोपी द्वारा मारे जाते देखा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह गवाह है जिसने आरोपी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू–5 मृतक गुरिंदर सिंह का गवाह है–भाई, मां अमरजीत कौर और पति रूपिंदर सिंह 25/26.06.2012 लगभग 2:30 बजे आरोपी के साथ चले गए और उसके बाद किसी ने भी ये तीन व्यक्ति जीवित नहीं देखे गए। बल्कि गुरिंदर सिंह का शव पुलिस को 29.6.2012 पर मिला था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी को आखिरी बार मृतक गुरिंदर सिंह, अमरजीत कौर और रूपिंदर सिंह के साथ देखा गया था।

8.4 राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि 26.06.2012 पर, शिकायतकर्ता पीडब्लू–5, गाँव थाबलान पुल के पास भाखड़ा मुख्य नहर के बहते पानी में प्रार्थना करने के लिए अभियुक्त की कार में उसके पिता गुरमैल सिंह और उसके सात और आठ साल क्रमशः के दो बच्चों के साथ छोड़ दिए गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, जैसा कि पीडब्लू–5 ने अपने बयान में कहा है, लगभग 9.30 शाम को जब पीडब्लू–5 अपने पिता के साथ बहते पानी में प्रार्थना करने के लिए कार से बाहर आई, जबकि उसके बच्चे कार में बैठे रहे, तो आरोपी ने पीडब्लू–5 और उसके पिता को नहर में धकेल दिया। हालांकि, पी. डब्ल्यू.–5 नहर में लोहे की पट्टी की मदद से नहर से बाहर आ गया।

पीडब्लू–5 ने वहाँ मौजूद नहर के कुछ कर्मचारियों को घटना के बारे में तुरंत विभाग के पीडब्लू–4 राजिंदर सिंह को बताया।

8.6 राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने और मौके पर पुलिस के आने पर कोई भौतिक विरोधाभास नहीं हैं, जैसे कि अभियुक्त की ओर से प्रतिवाद/प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू–5 और पीडब्लू–7 ने पुलिस के मौके पर पहुंचने और प्राथमिकी दर्ज करने में एक–दूसरे का पूरा समर्थन किया है।

8.7 राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान मामले में, धन और आभूषणों की बरामदगी हुई है जो अभियुक्त के घर से बरामद किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बरामदगी स्वयं अभियुक्त के कहने पर की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि गहने और नकदी की बरामदगी की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे साबित किया गया है।

8.8 यह आगे राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त की मारुति कार से एंजिलम 0.5mg गोलियों की बरामदगी भी स्थापित की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमुख ठोस साक्ष्य द्वारा साबित की गई है।

8.9 यह आगे राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वर्तमान मामले में, यहां तक कि उद्देश्य को भी संदेह से परे साबित किया गया है। अपराध 36,70,000/– और गहने की चोरी ... ...की थी और यह कि अभियुक्त ने पूरे परिवार का सफाया करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्योंकि आरोपी को पता था कि वह एक बार में परिवार के सभी सात सदस्यों को नहीं मार पाएगा और इसलिए, उसने उन्हें दो चरणों में ले लिया और उन्हें दो किश्तों में मार डाला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अभियुक्त को छह व्यक्तियों की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया है। एक ही परिवार के सात सदस्यों को दी गई है।

8.10 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और जिस तरह से अभियुक्त ने एक परिवार के सात सदस्यों में से छह निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की, और वह भी पूर्व नियोजित तरीके से और दो किश्तों में, गंभीर परिस्थितियाँ मृत्युदंड के पक्ष में हैं। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई मृत्युदंड/मृत्युदंड की पुष्टि की जाए और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले द्वारा इसकी पुष्टि की जाए।

9. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान वकील को सुना। हमने दोनों मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को बारीकी से विचार किया है और अभिलेख पर पूरे साक्ष्य को देखा, क्योंकि यह नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड/मौत की सजा का मामला है।

9.1 संबंधित पक्षों के वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य और निष्कर्षों को देखा है। विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा अभिलिखित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए, हमारी राय है कि विद्वत

सत्र न्यायालय द्वारा अभिलिखित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्ष, साक्ष्य, जो न तो विकृत हैं और न ही अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत हैं।

9.2 यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में छह व्यक्ति एक परिवार के सात सदस्यों में से सात की हत्या अभियुक्तों ने कर दी है। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू–5 को भी आरोपी ने उसके पिता गुरमैल सिंह और उसके सात और आठ साल के दो बच्चों के साथ नहर में फेंक दिया था। हालांकि, वह बच सकती थी और नहर में लोहे की पट्टी की मदद से नहर से बाहर आ सकती थी। इसलिए, वह गुरमैल सिंह के साथ नहर में धकेलने की घटना की चश्मदीद गवाह है।

9.3 आरोपी को आखिरी बार मृतक गुरिंदर सिंह, अमरजीत कौर और रूपिंदर सिंह के साथ 25/26.06.2012 पर देखा गया था।इसके बाद, उपरोक्त तीन व्यक्तियों को किसी के भी द्वारा जीवित नहीं देखा गया। गुरिंदर सिंह का शव पुलिस को 29.6.2012 पर मिला था। पीडब्लू–5 के बयान में अभियुक्त को उपरोक्त तीन व्यक्तियों के साथ अंतिम बार देखा गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके और पी. डब्ल्यू.–8, पूर्व–सरपंच जंग बहादुर की जांच करके स्थापित और साबित किया गया।

9.4 अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ मामले को ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके और पी. डब्ल्यू.–5, चश्मदीद गवाह; पी. डब्ल्यू.–14, नहर विभाग का एक कर्मचारी, जो एक स्वतंत्र गवाह है, जिसे पी. डब्ल्यू.–5 ने पूरी घटना सुनाई है जो समय पर पहली थी; पीडब्लू–8 पूर्व–सरपंच; पीडब्लू–9 मंजीत सिंह जिनके सामने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी और पीडब्लू–7, जांच अधिकारी शारशेर सिंह सहित कई पुलिस गवाहों से पूछताछ करके। उपरोक्त गवाहों के पूरे बयान को बारीकी से देखने के बाद, हमारी राय है कि उन्होंने कुल मिलाकर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। वास्तव में, विद्वान सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने बचाव पक्ष द्वारा बताए गए तथाकथित विरोधाभासों पर विस्तार से विचार किया है। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने ठीक ही कहा है कि मामूली विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन वे अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं हैं और/या वे अभियोजन मामले को झूठा नहीं बनाएंगे।

10. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में कहा गया है, छोटी विसंगतियों पर अनुचित जोर नहीं दिया जाना चाहिए और साक्ष्य को विश्वसनीयता की दृष्टि से विचार किया जाए। परीक्षा यह है कि क्या यह अदालत के दिमाग में विश्वास को प्रेरित करता है। **योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह (2007) 11 एस. सी. सी. 195** के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि प्रत्येक चूक किसी भौतिक चूक से नहीं हो सकती है और इसलिए, मामूली विरोधाभास, विसंगतियां या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए एक आधार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस चूक से गवाह की सच्चाई या साख के बारे में गंभीर संदेह पैदा होना चाहिए। यह है अभियोजन के हर मामले में विरोधाभास या चूक नहीं लेकिन भौतिक रूप से केवल गंभीर अंतर्विरोध और चूक प्रभावित करती है, । यह आगे देखा गया है कि यह

केवल गंभीर अंतर्विरोध और चूक है जो अभियोजन के मामले को भौतिक रूप से प्रभावित करती है, लेकिन हर अंतर्विरोध या चूक नहीं।

11. उपरोक्त को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष जिन गवाहों से पूछताछ की गई थी विश्वसनीय और भरोसेमंद है। ऐसे कोई भौतिक विरोधाभास नहीं हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकें। पीडब्लू–5 चश्मदीद गवाह है और पीड़ित भी। बचाव पक्ष द्वारा उसकी पूरी तरह से जिरह की गई है। लेकिन बचाव पक्ष ने उसकी जिरह से कुछ भी नहीं निकाला है जो अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है और/या जो उसकी विश्वसनीयता पर संदेह कर सकता है। पीडब्लू–14 एक स्वतंत्र गवाह है जिसे पीडब्लू–5 द्वारा घटना सुनाई गई थी। यहां तक कि पीडब्लू–8 और पीडब्लू–9 भी स्वतंत्र गवाह हैं। उनके खिलाफ कुछ भी आरोप नहीं है।

12. वर्तमान मामले में, अभियुक्त के घर से नकदी और गहने भी बरामद किए गए हैं जो अभियुक्त के कहने पर बरामद किए गए थे। अभियुक्त द्वारा पीड़ितों के घर से ली गई 36,70,000/– की नकदी को अभियुक्त के घर से बरामद की गई है। यहां तक कि पीड़ितों के घर से आरोपी द्वारा लिए गए गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। अभियोजन द्वारा बरामदगी memo etc को साबित करने में सफल रहा है । यहाँ तक कि पीड़ितों के घर की चाबियाँ भी अभियुक्त का घर मिली थीं। आभूषण और नकदी की पहचान पीडब्लू–5 द्वारा की गई है। केवल इसलिए कि पहले अभियुक्त के घर की तलाशी ली गई थी और उस समय कुछ भी नहीं मिला था, बाद में की गई बरामदगी को त्यागने का आधार नहीं हो सकता है, जो कि स्वयं अभियुक्त के कहने पर की गई थी। अभियुक्त यह जानने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है कि उसने गहने/नकदी कहाँ रखी थी जिसे उसने पीड़ितों के घर से लिया गया था। बरामदगी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

12.1 वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध करने के और पूरे परिवार को खत्म करने के उद्देश्य को साबित करने में सफल रहा है। जो आरोपी के घर से नकदी और गहने की बरामदगी द्वारा समर्थित है।

12.2 यहां तक कि आरोपी की मारुति कार से एंजीलम 0.5mg गोलियों की बरामदगी भी स्थापित और साबित हुई है। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित हो गया है कि उसने मृतक व्यक्तियों को गोलियां दी थीं और उसके बाद उन्हें मार डाला था। अब अभियुक्त की ओर से यह मामला कि रासायनिक परीक्षक को भेजी गई सामग्री में कोई जहर नहीं पाया गया था और इसलिए, अभियोजन पक्ष का उपरोक्त मामला विश्वसनीय नहीं हो सकता है, यह ध्यान देने योग्य है कि केवल उस मामले में जहां गोलियाँ अधिक संख्या में दी जाती हैं, उस मामले में ही जहर का पता लगाया जाएगा। इसलिए, सामग्री में जहर का पता न चलना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।

13. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की , जिस पर निम्न न्यायालयों ने ठोस कारण देकर

और अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करके विस्तार से विचार किया है, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने छह व्यक्तियों की हत्या/हत्या करने के लिए भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की सही पुष्टि की है। इसके तहत, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

14. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि, इस प्रकार, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील किसी भी शमन को इंगित करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति जिसमें मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की आवश्यकता हो। वर्तमान मामले में आरोपी ने छह निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। जिनमें से दो नाबालिग लगभग 10 वर्ष से कम आयु के थे।, पीडब्लू–5 के परिवार के सभी सदस्यों की नृशंस और कायरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। सौभाग्य से, या दुर्भाग्य से, पीडब्लू–5 के परिवार में से केवल एक व्यक्ति बच सका। वर्तमान मामले में आरोपी ने पूर्व नियोजित तरीके से छह निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। दोषी ने सावधानीपूर्वक समय की योजना बनाई। उसने पहले धोखे से तीन लोगों का अपहरण किया और उन्हें नहर के pass ले गया और उसके बाद उन्हें नींद की गोलियाँ पिलाकर, उन्हें आधी रात को नहर में धकेल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध का पता न चले। कि, उसके बाद उसने दूसरे चरण/किश्त में तीन और लोगों को मार डाला। इसलिए निर्धारित कानून पर विचार कर रहे हैं इस न्यायालय द्वारा **मुकेश बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2017) के मामले में 6 एससीसी 1**, यह मामला "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले" की श्रेणी में आता है जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जाती है। बिगड़ती परिस्थितियाँ अभियोजन के पक्ष में और अभियुक्त के खिलाफ हैं। इसलिए, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, बिगड़ती परिस्थिति संतुलन को मृत्युदंड सजा के पक्ष में झुका देगी। परिस्थितियाँ अभियोजन के पक्ष में है और अभियुक्त के खिलाफ हैं। इसलिए, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, हमारी राय है कि बिगड़ती परिस्थिति संतुलन को मृत्युदंड के पक्ष में झुका देगी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि मौत की सजा के अलावा कोई वैकल्पिक सजा उपयुक्त नहीं है। यह अपराध चरमपंथी क्रूरता के साथ किया जाता है और समाज के सामूहिक चेतना को झटका लगेगा। इसलिए हमारा मानना है कि विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अधिरोपित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मृत्युदंड/मौत की सजा इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, हम विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा आरोपित की मौत की सजा की पुष्टि करते हैं और अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है।

15. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की अपील को खारिज करते हुए और भा.दं.सं. की धारा 364, 302, 307, 201 और 380 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है। अपीलार्थी–अभियुक्त को भा.दं.सं.की धारा 302 और अन्य अपराधों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की जाती है और विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई मृत्युदंड/मौत की सजा की पुष्टि की जाती है

और छह व्यक्तियों की हत्या करने के लिए भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

विरेन्द्र

Translated, validated & Corrected by
SMT. GARIMA SHARMA
ADDITIONAL DIRECTOR, CG STATE JUDICIAL ACADEMY
BILASPUR